झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–38 / 2020

सतीश रवानी उर्फ मुन्ना रवानी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री शैलेश, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री विनय कुमार तिवारी, ए0पी0पी0।

02 / 15.01.2020 श्री शैलेश, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री विनय कुमार तिवारी, राज्य के लिए विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता को महुदा थाना काण्ड संख्या 15 वर्ष 2019 के संबंध में आरोपी बनाया गया है।

सूचक के बेटी का विवाह याचिकाकर्त्ता के साथ दिनांक 02.12.2018 को सम्पन्न हुई। दहेज की माँग थी और गैर–पूर्ति के कारण उसे यातना दी गई थी। 15.03. 2019 को सूचक को पता चला कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है। याचिकाकर्त्ता, मृतक का पति प्रतीत होता है और फांसी के परिणामस्वरूप श्वासावरोध को मृत्यु का कारण बताया गया है।

याचिकाकर्त्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप की प्रकृति के संदर्भ में, मैं याचिकाकर्त्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। याचिकाकर्त्ता की जमानत के लिए प्रार्थना को, मुकदमें में तेजी लाने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय को एक निर्देश के साथ, खारिज कर दिया गया है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)